वर्ल्ड सोशल फोरम : सिद्धांतों का चार्टर

ब्राजीलियाई संगठनों की समिति, जिसने 25 से 30 जनवरी, 2001 तक पोर्टो एलेग्रे में आयोजित पहले विश्व सामाजिक मंच की परिकल्पना की और उसका आयोजन किया, उस मंच के परिणामों और उससे जगी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने के बाद, इस बात को ज़रूरी और वैध माना गया कि उस पहल के तहत की जा रही निरंतर खोज का मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांतों का एक चार्टर तैयार किया जाए, जिसमें कि इस चार्टर में निहित सिद्धांतों का उन सभी द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए जो भी इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं और विश्व सामाजिक मंच के नए संस्करणों का आयोजन करना चाहते हैं। यह भी ध्यान रखा जाये कि पोर्ट एलेग्रे मंच को आयोजित करने वाले अध्यक्षमंडल द्वारा लिये गये निर्णय जिन्होंने इसकी सफलता को सुनिश्चित किया है, उन्हें आगे बढ़ाने वाले हों और उन उन्मुखताओं को परिभाषित करते हों जो उनके तर्कों से उत्पन्न हुए है।

1. विश्व सामाजिक मंच नवउदारवाद और वर्चस्व का विरोध करने वाले नागरिक समाज के समूहों और आंदोलनों द्वारा चिंतनशील सोच, विचारों की लोकतांत्रिक बहस, प्रस्तावों के निर्माण, अनुभवों के मुक्त आदान-प्रदान और प्रभावी कार्रवाई के लिए एक खुली बैठक का स्थान है। पूंजी और किसी भी प्रकार के साम्राज्यवाद द्वारा दुनिया, और मानव जाति के बीच और उसके और पृथ्वी के बीच उपयोगी संबंधों की ओर निर्देशित एकग्रहीय समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2. पोर्टो एलेग्रे में विश्व सामाजिक मंच समय और स्थान में स्थानीयकृत एक कार्यक्रम था। अब से, पोर्टो एलेग्रे में घोषित दावे में कि **"इक और जहां मुमकिन है"** इस तरह से यह विकल्पों की तलाश और निर्माण की एक स्थायी प्रक्रिया बन जाती है, जिसे इसका समर्थन करने वाली घटनाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता है।
3. विश्व सामाजिक मंच एक विश्व प्रक्रिया है। वे सभी बैठकें जो इस प्रक्रिया के भाग के रूप में आयोजित की जाती हैं एक अंतरराष्ट्रीय आयाम है।
4. विश्व सामाजिक मंच में प्रस्तावित विकल्प बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों और राष्ट्रीय सरकारों की मिलीभगत से उन निगमों के हितों की सेवा में सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा संचालित वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विरोध में खड़े हैं। इन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया

है कि एकजुटता में वैश्वीकरण विश्व इतिहास में एक नए चरण के रूप में प्रबल होगा। यह सार्वभौमिक मानवाधिकारों और सभी नागरिकों, सभी देशों के पुरुषों और महिलाओं और पर्यावरण का सम्मान करेगा और सामाजिक न्याय, समानता और लोगों की संप्रभुता की सेवा के लिए लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों और संस्थानों पर निर्भर करेगा।

5. वर्ल्ड सोशल फोरम हालांकि दुनिया के सभी देशों के नागरिक समाज के केवल संगठनों और आंदोलनों को एक साथ लाता है और आपस में जोड़ता है, लेकिन इसका इरादा विश्व नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बनने का नहीं है।
6. विश्व सामाजिक मंच की बैठकें एक निकाय के रूप में विश्व सामाजिक मंच की ओर से विचार-विमर्श नहीं करती हैं। इसलिए, फोरम के किसी भी संस्करण की ओर से किसी को भी इसके सभी प्रतिभागियों की स्थिति का दावा करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा। फोरम में भाग लेने वालों को एक निकाय के रूप में निर्णय लेने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, चाहे वोट से या अभिनंदन द्वारा, कार्रवाई के लिए घोषणाओं या प्रस्तावों पर जो उनमें से सभी या बहुमत को प्रतिबद्ध करेंगे और जो पदों की स्थापना के रूप में लिए जाने का प्रस्ताव करेंगे। फोरम एक निकाय के रूप में इस प्रकार यह अपनी बैठकों में प्रतिभागियों द्वारा विवादित होने के लिए शक्ति का कोई ठिकाना नहीं बनाता है, न ही इसमें भाग लेने वाले संगठनों और आंदोलनों द्वारा अंतर्संबंध और कार्रवाई के लिए एकमात्र विकल्प का गठन करने का इरादा रखता है।
7. फिर भी, फोरम की बैठकों में भाग लेने वाले संगठनों या संगठनों के समूहों को ऐसी बैठकों के दौरान, घोषणाओं या कार्यों पर विचार-विमर्श करने का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिस पर वे अकेले या अन्य प्रतिभागियों के साथ समन्वय में निर्णय ले सकते हैं। विश्व सामाजिक मंच ऐसे निर्णयों को बिना किसी निर्देश के, अपने उपलब्ध साधनों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित करने का कार्य करता है। उन्हें पदानुक्रमित करना, निंदा करना या प्रतिबंधित करना, लेकिन निर्णय लेने वाले संगठनों या संगठनों के समूहों के विचार-विमर्श के रूप में ही हो।
8. विश्व सामाजिक मंच एक बहुआयामी, विविध, गैर-इकबालियापन, गैर-सरकारी और गैर-पार्टी संदर्भ है, जो विकेंद्रीकृत रूप में एक और दुनिया के निर्माण के लिए स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कार्रवाई में लगे संगठनों और आंदोलनों को जोड़ता है।
9. विश्व सामाजिक मंच हमेशा बहुलतावाद और इसमें भाग लेने का निर्णय लेने वाले संगठनों और आंदोलनों की गतिविधियों और जुड़ने के तरीकों की विविधता के साथ-साथ लिंग, जातीयता, संस्कृतियों, पीढ़ियों की विविधता और भौतिक क्षमताओं के लिए खुला मंच रहेगा, बशर्ते वे सिद्धांतों के इस चार्टर का पालन करें। फोरम में न तो पार्टी का प्रतिनिधित्व और न ही सैन्य संगठन भाग लेंगे। सरकारी नेता और विधायिका के सदस्य जो इस चार्टर की प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करते हैं उन्हें व्यक्तिगत क्षमता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
10. विश्व सामाजिक मंच अर्थव्यवस्था, विकास और इतिहास के सभी अधिनायकवादी और न्यूनतावादी

विचारों और राज्य द्वारा सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में हिंसा के उपयोग का विरोध करता है। यह मानवाधिकारों, वास्तविक लोकतंत्र की प्रथाओं, सहभागी लोकतंत्र के प्रति सम्मान को कायम रखता है। लोगों, जातियों, लिंगों और लोगों के बीच समानता और एकजुटता में शांतिपूर्ण संबंध, और व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के सभी प्रकार के वर्चस्व और सभी अधीनता की निंदा करता है।

11. बहस के लिए एक मंच के रूप में, विश्व सामाजिक मंच विचारों का एक आंदोलन है जोकि पूंजी के वर्चस्व के तंत्र और उपकरणों, विरोध करने और काबू पाने के साधनों और कार्यों पर प्रतिबिंब और उस प्रतिबिंब के परिणामों के पारदर्शी प्रसार को प्रेरित करता है। वह वर्चस्व, और बहिष्कार और सामाजिक असमानता की समस्याओं को हल करने के लिए प्रस्तावित विकल्पों पर विचार करता है, जोकि पूंजीवादी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अपने नस्लवादी, लिंगवादी और पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी आयामों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देशों के भीतर पैदा कर रही है।
12. अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए एक रूपरेखा के रूप में, विश्व सामाजिक मंच अपने भागीदार संगठनों और आंदोलनों के बीच समझ और पारस्परिक मान्यता को प्रोत्साहित करता है और उनके बीच आदान-प्रदान को विशेष महत्व देता है। इस के अलावा ऐसी आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियों को भी जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ीयों के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने और प्रकृति के सम्मान को ध्यान में रखते हुए की जा रही हों।
13. अंतर्संबंधों के संदर्भ के रूप में, विश्व सामाजिक मंच समाज के संगठनों और आंदोलनों के बीच नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और बनाने का प्रयास करता है, जिससे - सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों में प्रक्रिया के लिए अहिंसक सामाजिक प्रतिरोध की क्षमता में वृद्धि होगी। दुनिया जिस अमानवीयकरण से गुजर रही है और राज्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हिंसा, और इन आंदोलनों और संगठनों की कार्रवाई द्वारा उठाए जा रहे मानवीय उपायों को सुदृढ़ करती है।
14. विश्व सामाजिक मंच एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने भागीदार संगठनों और आंदोलनों को अपने कार्यों को स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में सक्रिय भागीदारी की मांग करने के लिए, ग्रह नागरिकता के मुद्दों के रूप में, और वैश्विक एजेंडे पर पेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो परिवर्तन-उत्प्रेरण प्रथाओं का प्रयोग एकजुटता के साथ एक नई दुनिया के निर्माण में कर रहे हैं।

9 अप्रैल 2001 को साओ पाउलो में विश्व सामाजिक मंच आयोजन समिति बनाने वाले संगठनों द्वारा स्वीकृत और अपनाया गया, 10 जून 2001 को विश्व सामाजिक मंच अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया।

(इस दस्तावेज़ का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद श्री रजनीश ने किया है। इसके लिए वर्ल्ड सोशल फोरम इंडिया उनका आभारी है.)